**भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ**

**फा. सं. 6/34/2024-डीजीटीआर**

**भारत सरकार, वाणिज्य विभाग**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**

**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**दिनांक: 27.09.2024**

**जांच शुरूआत अधिसूचना**

**मामला सं. एडी (ओआई) - 32/2024**

**विषय: कुवैत राज्य, सऊदी अरब किंगडम और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।**

**फा. सं. 6/34/2024-डीजीटीआर** - दि केमिकल्स एंड पैट्रो-कैमिकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे यहां "सीपीएमए" कहा गया है) (जिसे यहां आगे '"आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे "नियमावली, 1995" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें कुवैत राज्य, सऊदी अरब किंगडम और सिंगापुर गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि ऊपर उल्लिखित देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल" के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और उल्लेखनीय क्षति का खतरा है। तदनुसार, आवेदकों ने ऊपर उल्लिखित देशों से "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क.** **<u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) मोनो एथिलीन ग्लाइकोल है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है । एम ई जी एक स्पष्ट, रंगहीन, गंधहीन, सिरप जैसी स्थिरता वाला थोड़ा चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह स्वाद में मीठा है और जल में मिश्रण कर सकने योग्य है । यह एकाधिक अनुप्रयोगों के साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है । इसका उपयोग मुख्य रूप से पालिएस्टर फोबर्स और पॉली-इथाइलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन के निर्माण के लिए प्यूरिफाइड टेरेफथेलिक एसिड के संयोजन में किया जाता है । इसका उपयोग एंटी फ्रीज/कुलेंट के साथ-साथ फार्मास्युटिकल और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी किया जाता है ।

4. एम ई जी के मुख्यत: दो ग्रेड होते हैं - फाइबर और नॉन फाइबर । आवेदक ने अनुरोध किया है कि एम ई जी मुख्यत: दो ग्रेडों का होता है : फाइबर ग्रेड और नॉन-फाइबर ग्रेड । आवेदक कंपनी एम ई जी के दोनों ग्रेडों का विनिर्माण करती है । वर्तमान जांच में पीयूसी के दोनों ग्रेड शामिल हैं ।

5. संबद्ध वस्तुओं को एच एस कोड 2905 31 00 के तहत "आर्गेनिक रसायनों" शीर्षक के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है ।

6. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार इस जांच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर पी यू सी और प्रस्तावित पी सी एन के कार्यक्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं ।

**ख.** **समान वस्तु**

7. आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । दोनों स्रोतों से प्राप्त संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोगों, तथा वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय हैं । दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित

संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं को एक दूसरे के "समान वस्तु" माना जा रहा है ।

**ग. घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति**

8. वर्तमान आवेदन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सी पी एम ए द्वारा दायर किया गया है । आवेदन का इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड द्वारा भी समर्थन किया गया है । इन दोनों उत्पादकों के अलावा,एक अन्य उत्पादक भी है अर्थात इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड । रिलायंस इंडस्ट्रीज ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में "प्रमुख समानुपात" स्थापित करता है ।

9. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है । यह नोट किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा कुल मांग के 1 प्रतिशत से भी कम है और इसके उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत है ।

10. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, और *संघ सरकार बनाम मैसर्स सेंचुरी प्लाईवुड*[1] के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि ए डी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में आवेदक घरेलू उद्योग है । इसके अतिरिक्त, आवेदन ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति की अनिवार्यता को भी पूरा करता है ।

**घ. संबद्ध देश**

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कुवैत राज्य (जिसे आगे "कुवैत" कहा गया है), सऊदी अरब किंगडम (जिसे आगे "सऊदी अरब" कहा गया है) और सिंगापुर गणराज्य (जिसे आगे "सिंगापुर" कहा गया है) हैं ।

---

[1] (2022 एस सी सी ऑन लाइन जी ए यू 643)

**ङ. जांच की अवधि (पीओआई)**

12. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) है । जांच के लिए क्षति अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि शामिल होगी ।

**च. पाटन का आधार**

**i) सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने अपने आवेदन में कहा है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से संबंधित जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है । कुवैत और सऊदी अरब के मामले में, आवेदक ने विशिष्ट बाजार स्थिति की विद्यमानता का आरोप लगाया है । यह दावा किया गया है कि प्राकृतिक गैस की अभिभावी विकृत कीमतों के कारण, जिन्हें ऊपर उल्लिखित संबद्ध देशों में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कच्चे माल के साथ ही उपयोगिता की कीमतें एक विशिष्ट बाजार स्थिति द्वारा प्रभावित होती है । दूसरे, आवेदक ने यह भी कहा है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपने संबंधित पक्षकारों से इनपुट की अधिप्राप्ति कर रहे हैं । इन कारणों के आधार पर, आवदेक ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि कच्चे माल की लागतें संभवत: कुवैत और सऊदी अरब में उत्पादकों के रिकॉर्डों में उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं की हैं । इसके अलावा आवेदक ने यह भी दावा किया है कि विषयगत देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमतें, विषयगत देशों में स्थित उत्पादकों द्वारा आक्रामक निर्यात बाजार लक्ष्यीकरण के कारण, डंप कीमतें होने की संभावना है।

14. चूंकि ऊपर उल्लिखित पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, आवेदक ने ए डी नियमावली, 1995 की धारा 9(क) के स्पष्टीकरण (ii)(ख) के संदर्भ में अर्थात संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है । तद्नुसार, उत्पादन की लागत को प्रमुख कच्चे माल और घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर अन्य लागत अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

**(ii) निर्यात कीमत**

15. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर सी आई एफ निर्यात कीमत का दावा किया है । प्राधिकारी ने डीजीसीआई&एस आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है । कारखानागत निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए मालभाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन किए गए थे ।

(iii) **पाटन मार्जिन**

16. सामान्य मूल्य और कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना किए जाने पर, यह प्रथमदृष्टया नोट किया गया है कि भारित औसत पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर पर अधिक और महत्वपूर्ण है । इस बात के प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजारों में पाटित किया जा रहा है ।

**छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

17. पी ओ आई के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल रूप में, साथ ही सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है । मांग में वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है । इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी/ह्रास किया है । घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभों/आय में गिरावट आई है । आवेदक ने निष्क्रिय और अतिरिक्त क्षमताओं, खपत और संबद्ध देशों से उत्पादों के निर्यात प्रचालन के संबंध में भी सूचना उपलब्ध कराई है । इस प्रकार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण मौजूद हैं और घरेलू उद्योग को और भारी क्षति पहुंचने का खतरा है ।

18. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

**ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>**

19. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या

साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

## झ. <u>प्रक्रिया</u>

20. ए.डी. नियमावली, 1995 के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

## ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना तथा आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की सरकारी वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

## ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने अथवा घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा उसे परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड तथा एडी नियमावली, 1995 में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में तत्काल अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

## ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 (2) के

अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अगोपनीय पाठ के साथ, अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश की उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण कथन प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए एडी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के अनुसार पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. इच्छुक पक्ष आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर अर्थपूर्ण अगोपनीय संस्करण के बिना या प्राधिकृत व्यापारी नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण कथन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

**ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल कर दें ।

**ढ. <u>असहयोग</u>**

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

**(दर्पण जैन)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**